सत्यमेव जयते बनाम सत्यमेव वर्जयते

॥ डॉ. विनोद बब्बर ॥

गत दिवस एक चौक मामले में एक अदालत पहुंचा तो बाहर चिपके नोटिस पर लिखा था-'न्यायिक अधिकारी 1 फरवरी से 10 फरवरी तक छुट्टी पर हैं। 10:10 बजे तारीख मिलेगी।' संविधान, कानून, न्याय जैसे शब्दों में मेरी 'गहरी' आस्था है इसलिए अगली तारीख लेकर लौट आया। वैसे इसके अलावा कोई और विकल्प है भी नहीं। चेक बाउंस मामले धारा 138 में 'प्रथम पेशी के छः महीने में निपटारे' का प्रावधान है लेकिन एक बार तो चौदह महीने बाद की पेशी के अनुभव का सौभाग्य भी प्राप्त कर चुका हूं। पिछले अनेक वर्षों से अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। हर बार न्याय के नाम पर तारीख जरूर मिलती है। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि वहां इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं होता है। होता है, जरूर होता है जैसे औसतन हर तीसरी तारीख पर जज या कमरा बदला, अनेक बार जज छुट्टी पर तो कभी वकीलों की हड़ताल। उस पर भी सर्दी और गर्मियों में अदालतों की छुट्टियां भी होती हैं। वैसे इस द्वार से फैसले आ भी जाये तो भी कई और द्वार भी हैं। आशा है ऊपर वाले का फैसला आने से पहले यहां का फैसला प्राप्त होगा।

बात केवल मेरी नहीं है। लाखों लोग हैं जिनका पूरा जीवन न्याय के इंतजार में बीत गया। कहा गया है 'जस्टिस डिलेड इज, जस्टिस डिनाइड' अर्थात् 'न्याय में देरी, न्याय से वंचित होना ही है।' एकाधिक बार स्वयं देश की सबसे बड़ी अदालत भी इस स्थिति पर अपना 'गुस्सा, पीड़ा और चिंता' जता चुकी है। पिछले दिनों जस्टिस ए.पी. शाह ने कहा कि 'भारत की अदालतों में 3,30,00,000 (तीन करोड़ तीस लाख) मुकदमें लंबित हैं। इनके निपटारे में 486 (चार सौ छियासठ वर्ष) लग जायेंगे।'

मात्र 486 वर्ष ही कहा है उन्होंने। हम भारतीय आत्मा को अजर-अमर मानते हैं। 486 वर्ष कुछ ज्यादा नहीं होते। जरूरत पड़ी तो सौ बार जन्म लेकर भी मुकदमा लड़ेंगे। वैसे बता दूं मेरा चेक सिर्फ एक लाख है और मैं इससे ज्यादा मूल्य का अपना समय, वकील की फीस, किराया आदि लगा चुका हूं। बहुत संभव है कि किसी दिन सलमान स्टाइल न्याय यानी सबूत होते हुए भी आरोपी निर्दोष साबित हो जायें।

अदालत एकमात्र ऐसा स्थान है जहां सवाल उठाना मानहानि यानी जुर्म है इसलिए मैं यह यह पूछने का दुस्साहस नहीं कर पा रहा कि अगर वे जज साहब लगातार 10 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनके बदले किसी दूसरे को क्यों नहीं लगाया जा सकता? प्रतिदिन 100 मामले भी हो तो प्रति केस दोनों पक्ष के एक-एक व्यक्ति और वकील यानी कम से कम चार आदमी तो सौ केसों में 400 व्यक्ति प्रतिदिन और 10 दिनों में कम से कम 4,000 लोग बैरंग लौटे तो इसे न्यायपालिका की निष्पक्ष सक्रिय सेवा क्यों न कहा जाये?

अंतहीन देरी के कई अन्य कारण भी हैं। जैसे अब तक कि हमारी सरकारों द्वारा न्यायिक 'रिफार्म' की ओर ध्यान न देना। केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरण के बीच चल रहे लाखों मामलों को आपसी तालमेल से निपटाकर अदालतों का बोझ कम किया जा सकता है। इसी प्रकार मुकदमों का बहुत बड़ा हिस्सा चेक वापसी, मोटर दुर्घटना, औद्योगिक विवादों से संबंधित तथा छुटपुट अपराधों का है जिन्हें कुछ बैठकों में निपटाया जा सकता है। अब जबकि सरकार 'कैशलैस' अर्थव्यवस्था के लिए अभियान चला रही है। ऐसे में चेक वापसी जैसे मामले बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं अतः नियमों में परिवर्तन कर एक बार में ही सारे सबूत सौंपने तथा अगली तारीख पर प्रतिवादी द्वारा उसका जवाब अनिवार्य कर मामले को लम्बा खिंचने से बचाया जा सकता है। यदि कोई पक्ष जानबूझकर मामले को लटकाने का प्रयास करता है तो उसका संज्ञान लेते हुए उसके विरुद्ध टिप्पणी दर्ज की जाए। कई बार वरिष्ठ अधिवक्ता अपना मेडिकल प्रमाणपत्र देकर स्थगन ले लेते हैं और ठीक उसी समय दूसरी अदालत में खड़े पाए जाते हैं। अनेक मामलों में वकील साहब का मुकदमें के लिए अच्छी तरह तैयार न होना भी टालने का कारण

होता है। इधर बहुत बड़ी संख्या में युवक वकालत की ओर आकर्षित हो रहे हैं लेकिन उनकी अनुभवहीनता भी कई बार देरी का कारण होती है। एक मामले में मैं स्वयं साक्षी हूँ। जज ने वकील से गवाह से जिरह करने को कहा तो युवा वकील ने मासूमियत से उत्तर दिया, 'सर आप ही पूछ ले जो पूछना हो!' स्पष्ट है कि युवा वकीलों के लिए लगातार कार्यशालाओं की आवश्यकता है जहाँ उन्हें व्यवहारिक जानकारी देते हुए सुनवाई को बेहतर बनाने के लिए तैयार कराना चाहिए।

इससे अतिरिक्त अदालतों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए आरंभ किए गए उपायों जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों से सभी जिला अदालतों तक के कम्प्यूटरीकरण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के कार्य को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। यदि कोई जज अनुपस्थित है और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो दोनों पक्षों को एसएमएस और ईमेल से इसकी पूर्व सूचना देकर अनावश्यक भागदौड़ और संसाधनों के दुरुपयोग को तो रोका ही जा सकता है। जब रेलवे प्रतिदिन लाखों लोगों को एसएमएस कर उनके आरक्षण की स्थिति की सूचना दे सकती है तो कोई कारण नहीं कि यह कार्य अदालतें न कर सकें। विशेष बजट प्रावधान कर संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए क्योंकि न्यायविहीनता अशांति को जन्म देती है। यदि न्याय तंत्र में जनता का भरोसा कम हो जाए तो विवादों के न्याय सम्मत और कानूनी समाधान की बजाय उनमें कानून को अपने या अपनों के हाथ में सौंप अराजक ढंग से निपटाने की प्रवृत्ति पनपती है। इससे पहले कि नकारात्मक प्रवृत्ति से वातावरण खराब हो, व्यवस्था को लोगों का भरोसा तुरंत बहाल करने के लिए कुछ करना चाहिए।

यह बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के माननीय न्यायमूर्ति आतंकवाद के दोषी के लिए आधी रात को भी जागकर सुनवाई करते हैं ताकि न्याय पर कोई संशय न रहे। वे गली के कूड़े कचरे से पर्यावरण, और दूसरे सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार पर भी 'कठोर' कार्यवाही करते हैं, लेकिन अपने 'घर' पर न जाने क्यों नजरें इनायत नहीं करते। 'जजों की कमी है' की बात अपनी जगह ठीक हो सकती है पर शीघ्र निपटान का कोई तरीका निकाला जाना चाहिए।

जहां तक गर्मी में अदालतों की छुट्टी का प्रश्न है। गुलामी के दौर में अंग्रेज जज गर्मी में लम्बी छुट्टी पर जाते थे। अब तो गाड़ी से चैम्बर तक वातानुकूलित है। छुट्टियां जारी रखने के औचित्य पर विचार होना चाहिए। जबकि शेष सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, बाजार आदि सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, बरसात हर मौसम में जारी रहता है। यह आम धारणा है कि अनंतहीन प्रतीक्षा के अतिरिक्त आज की न्यायिक व्यवस्था बेहद महंगी है इसीलिए देश का आम आदमी अदालत में जाने से ही पहले कई बार सोचता हैं। इसे तनाव मुक्त बनाने के लिए साक्ष्य अधिनियम को सरल बनाना, बगैर वकील के भी प्रक्रिया आगे बढ़ाना, हड़ताल जैसी हालत में तारीख देने की जगह सहज कामकाज आगे बढ़ाना, अनावश्यक रूप से मामले को लटकाने वाले पक्ष को दंडित करना जैसे कदम उठाकर आम आदमी के विश्वास को बहाल किया जा सकता है। आर्थिक अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करना, सभी मुकदमों का समयबद्ध निपटारा, सांध्यकालीन अदालतों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जैसा कि कुछ राज्यों में हो भी रहा है।

एक विद्वान के अनुसार, 'हमारे कानून मकड़ी के जाले की तरह हैं, जिसमें छोटे कीड़ें, पतंगे तो फंस जाते हैं। परंतु बड़े-बड़े जानवर आसानी से इस जाले को तोड़ देते हैं।' सत्य क्या है यह तो सत्य ही जानता है पर हर न्यायालय में तीन शेरों वाले चिन्ह के नीचे 'सत्यमेव जयते' अवश्य अंकित होता है। कहा जाता है कि यह सूत्र वाक्य मुंडकोपनिषद् से लिया गया है। क्या इसीलिए आज भी उस परिसर में अनेक प्रकार के मुंडन जारी है। मैं एक जिज्ञासु के सवाल कि 'राजनीति में भ्रष्टाचार क्यों है और अपराधों में कमी क्यों नहीं आती जैसे सवाल पूछने वालों की मानसिक जांच क्यों नहीं करानी चाहिए?' का उत्तर दे पाने में स्वयं को असमर्थ पाता हूं क्योंकि मेरी 'न्याय' और 'कानून' में गहरी आस्था है। इसलिए युअर ऑनर! जब तक सांस के साथ शरीर चलता रहेगा मैं अगली तारीख लेने के लिए उपस्थित होता रहूंगा। ये सत्यमेव जयते बनाम सत्यमेव वर्जयते तो केवल बौद्धिक विलासता है।

दमयन्ती का स्वयंवर

पौराणिक प्रसंग

॥ विश्वजीत 'सपन' ॥

(भाग-1)

बहुत ही प्राचीन काल की बात है। विदर्भ देश में राजा भीमक राज्य किया करते थे। उनकी बेटी दमयन्ती सुन्दरता में उस समय सम्पूर्ण भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ थी। उसकी सुन्दरता की चर्चा प्रत्येक राजघराने में होती रहती थी। उसी समय निषध देश में राजा नल भी राज्य किया करते थे। वे भी कामदेव के समान सुन्दर और बड़े शूरवीर थे। उन्होंने दमयन्ती के बारे में सुन रखा था तथा वे मन ही मन उससे प्रेम भी करने लगे थे।

एक दिन की बात है। राजा नल अपने महल की फुलवारी में टहल रहे थे। उन्होंने वहाँ कई सुन्दर हंस देखे। उन्हें वे बड़े अच्छे लगे, तो उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया, तो वह हंस बोला-'मुझे छोड़ दीजिये महाराज, आपका भला होगा।'

'वो कैसे?' राजा नल ने उत्सुकता से पूछा।

तब उस हंस ने कहा-'वो ऐसे महाराज कि हमलोग दमयन्ती के पास जाकर आपका ऐसा गुणगान करेंगे कि वह आपको चाहने लगेंगी।'

यह सुनकर राजा नल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस हंस को छोड़ दिया। तब वह हंस अपने साथी हंसों के साथ राजा भीमक के राज्य में जाकर वहीं उनकी फुलवारी में रहने लगा। दमयन्ती जब भी उस फुलवारी में आती, तो वे हंस राजा नल का गुणगान करते। सुनते-सुनते दमयन्ती के मन में भी राजा नल के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। एक दिन उसने हंसों से कहा कि तुम लोग जाकर यह बात राजा नल से कह देना।

तब हंसों ने जाकर राजा नल को दमयन्ती की कही बात बता दी। राजा नल को यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। दमयन्ती के प्रति उनका अनुराग और बढ़ गया।

उधर राजा भीमक को लगा कि उनकी बेटी दमयन्ती विवाह के योग्य हो गयी है। उन्होंने स्वयंवर की घोषणा करवा दी। सभी राजाओं को आमंत्रण दिया गया। वे सभी स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिये विदर्भ राज्य के लिये चल पड़े। उधर जब देवताओं को इस स्वयंवर का पता चला, तो वे भी उसमें भाग लेने चल पड़े। किन्तु जब वे आकाशमार्ग से जा रहे थे, तब उन्होंने राजा नल को देखा। उनकी सुन्दरता देख वे भी घबरा गये। उन्होंने नल के पास आकर कहा-'राजा नल! आप बड़े सत्यवादी हैं। आप हमारी सहायता करें।'

राजा नल बोले-'भगवन्! आपने मुझे इस योग्य समझा, मैं धन्य हुआ। मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। बताइये मुझे क्या करना है?'

'आप हमारे दूत बनकर दमयन्ती के पास जाइये और कहिये कि इन्द्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। वे सभी तुम्हारे स्वयंवर में आयेंगे।' इन्द्र ने कहा तो राजा नल दुविधा में पड़ गये।

'भगवन्! मैं भी स्वयंवर में ही जा रहा हूँ। तब दमयन्ती को ऐसा संदेश कैसे दे सकता हूँ, जबकि मेरा उद्देश्य भी उससे विवाह करना है?' राजा नल ने पूछा।

तब देवताओं ने राजा नल से कहा-'राजा नल! आपने हमें सहायता करने का वचन दिया है। क्या आप अपना वचन पूरा नहीं करेंगे?'

राजा नल वचन में बँधे थे। उन्हें देवताओं की बात माननी पड़ी और वे बोले-'किन्तु भगवन्! राजमहल में तो कड़ा पहरा रहता है। मैं कैसे जा पाऊँगा?' तब इन्द्र ने कहा-'आप जाइये, वहाँ आपको कोई नहीं देख पायेगा।'

इन्द्र की आज्ञा से राजा नल बेरोक-टोक महल में चले गये। दमयन्ती के पास गये, तो वह राजा नल को देखकर विस्मित रह गयीं। इतना अनुपम सौन्दर्य उसने कभी नहीं देखा था। उसने पूछा-'आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आये हैं?'राजा नल ने अपना परिचय देते हुए कहा -'देवि! मैं राजा नल हूँ। देवताओं का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ।'

'किन्तु आप द्वारपालों से छुपकर यहाँ कैसे आ गये? यह विचित्र बात है।' दमयन्ती ने उत्सुकता से पूछा। उसे प्रसन्नता हो रही थी कि जिनको उसने अपना जीवनसाथी मान लिया था, वे स्वयं ही उससे मिलने आ पहुँचे थे। राग और बढ़ गया। होती रहती थी।

'देवी! देवराज इन्द्र के प्रभाव से मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं देख सकता।' राजा नल ने बताया। 'आप क्या संदेश लाये हैं राजन्?' दमयन्ती बोल पड़ी। उसे राजा नल से बात करना अच्छा लग रहा था। तब बिना किसी भाव के दूत की तरह राजा नल ने कहा -'इन्द्र एवं अन्य तीन देवता तुमसे विवाह करने के उद्देश्य से स्वयंवर में आ रहे हैं। यही संदेश देने के लिये आया हूँ। अब तुम मुझे आज्ञा दो।' दमयन्ती ने यह सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह राजा नल से प्रेम करती थी और अब उन्हें देखने के बाद उसका अनुराग और भी बढ़ गया था। किन्तु देवताओं की बात सुनकर उसे निराशा हुई। वह देवताओं को अप्रसन्न नहीं कर सकती थी। अतः पहले उसने देवताओं को मन ही मन प्रणाम किया। उनसे क्षमा माँगी और राजा नल से इस प्रकार कहा-'किन्तु प्रभु, मैं तो आपको हृदय से अपना बना चुकी हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिये कि जीवन भर मैं आपकी सेवा कर सकूँ।' राजा नल ने कहा-'देवी! दूत का कार्य केवल संदेश देना होता है। अतः मुझे धर्म से गिरने के लिये मत कहो।' 'नरेश! जिस दिन से हंसों ने आपकी बात बतायी है, मैं उसी दिन से आपको पति मान चुकी हूँ। मैं देवताओं को प्रणाम कर आपके गले में ही वरमाला डालूँगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो विष पीकर जान दे दूँगी।' दमयन्ती ने कठोरता से कहा। तब राजा नल भी दुविधा में पड़ गये। फिर भी वे धर्म को जानते थे, अतः बोले-'सुन्दरि! मैं दूत बनकर संदेश देने आया हूँ। इस समय स्वार्थ अधर्म है। यदि धर्म के विरुद्ध न हो, तभी मैं स्वार्थ देख सकता हूँ। अतः भावना में न बहकर तुम भी धर्म का पालन करो।' दमयन्ती यह सुनकर प्रसन्न हो गयी, क्योंकि उसे उपाय सूझ गया था। उसने कहा-'राजन्! इसके लिये केवल एक ही निर्दोष उपाय है। आप देवताओं के साथ स्वयंवर में आयें। मैं वहाँ आपको वरण कर लूँगी। तब आपको कोई दोष नहीं लगेगा।' 'जैसा तुम उचित समझो, देवि। अब मुझे आज्ञा दो।' यह कहकर राजा नल देवताओं को समाचार देने निकल पड़े।

क्रमशः